हरियाणा सरकार

मेरा पानी मेरी विरासत

किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधिकरण के लिए प्रोत्साहन राशि 7000/– रू0 प्रति एकड़ दी जाएगी।

यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

- इस योजना के तहत 8 खण्ड़ों (रतिया, सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, ईस्माइलाबाद, सिरसा) के वे गाँव जिनका भूजल स्तर 40 मीटर व अधिक है, वहाँ के किसानों को वैकल्पिक फसलों (मक्का/कपास/बाजरा/ दलहन/सब्जियां व फल) की खेती कम से कम 50 प्रतिशत धान के क्षेत्र में विविधिकरण करने की सलाह दी जाती है।

- इन 8 खण्ड़ों (रतिया, सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, ईस्माईलाबाद, सिरसा) के किसान प्रति एकड़ वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होगें जो अपने पिछले खरीफ सीजन (2019–20) के धान के क्षेत्र का 50 प्रतिशत व अधिक विविधकरण करेंगे।

- विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, बाजरा व कपास का फसल बीमा भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा।

- लक्षित 8 ब्लॉक में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (47595 हेक्टेयर) जहाँ पर विविधिकरण के अंतर्गत वैकल्पिक फसल लगाना संभव नहीं हे ऐसे किसान संबंधित कृषि अधिकारी को बासमती किस्म, सीधी बिजाई (डी0एस0आर0) द्वारा धान लगाना व साधारण धान की बिजाई करने के लिए आवेदन कर सकेंगें।

- वे सभी किसान जो 50 एच0पी0 इलैक्ट्रिक मोटर के साथ अपने टयूबवेल का संचालन कर रहे हें, उनहें ऐसे क्षेत्रों में धान न उगाने की सलाह दी जाती है।

- मशीनीकरण को बढ़ाना देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 8 ब्लॉकों में मक्का की बिजाई के लिए न्यूमैटिक मक्का बिजाई मशीन सरकारी खर्च पर उपलब्ध करवाएगा तथा सामान्य मक्का बिजाई करने वाली मशीनों पर 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान भी होगा।

- चयनित 12 खण्ड़ों (रतिया, फतेहाबाद, जाखल, सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, इस्माईलाबाद, थानेसर, पेहवा, सिरसा) के वे गाँव जिनका भूजल स्तर 35 मीटर व अधिक है, वहाँ की ग्राम पंचायतों को उनके अधीन कृषि पर भूमि धान लगाने की अनुमति नहीं होगी। धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधिकरण के बदले वित्तीय सहायता संबंधित ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।

- इस योजना के अंतर्गत सभी वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/बाजरा/दलहन की खरीद हरियाणा सरकार द्वारा नयूनतम समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी। ऐसा हरियाणा में पहली बार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

- योजना के अन्तर्गत 40 मीटर व अधिक भूजल स्तर वाले 8 चयनित ब्लॉकों के वे गाँव जिनका भूजल स्तर 40 मीटर व अधिक है, वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधिकरण करने पर टपका सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए 85 प्रतिशत से अधिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसानों को केवल जी0एस0टी0 देना होगा।

- इस विविधिकरण योजना के अंतर्गत किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें किसान स्वंय, सी0एस0सी0 व कृषि विभाग के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।

- किसानों द्वारा उत्पादित मक्का की नमी को कम करने के लिए संबंधित अनाज मंडियों में सरकार द्वारा "मक्का ड्रायर" भी उपलब्ध करवाए जायेगें।

- फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने तथा तकनीकी जानकारी हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रदर्शन प्लॉट लगाए जाएंगे।

–: अधिक जानकारी के लिए :–

टोल फ्री नम्बर : 1800 180 2117

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा